न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 12/2015

1 दिलीप सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
1/1 सुमन पत्नी दिलीप सिंह।
1/2 ईश्वर सिंह पुत्र दिलीप सिंह।
1/3 प्रताप सिंह पुत्र दिलीप सिंह।
1/4 कर्णसिंह पुत्र दिलीप सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण मझाउ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/5 ज्योति सिंह पत्नी अमर सिंह पुत्री दिलीप सिंह जाति राजपुत निवासी दातरू तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामुसिंह पुत्र सुरजन सिंह।
2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
3 राजेन्द्र सिंह पुत्र भोपाल सिंह।
4 छगन कंवर पत्नी भोपाल सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण मझाउ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4/1 मदन कंवर पुत्री भोपाल सिंह पत्नी सवाई सिंह।
4/2 किरण कंवर पुत्री भोपाल सिंह पत्नी रामकुमार सिंह निवासीगण डुण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5 शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
6 शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2014 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू दावा उनवानी दलीप सिंह बनाम रामूसिंह दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 248/2011 तारिख पेशी दिनांक 23.01.2015

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 28-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 248/2011 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा काउंटर क्लैम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का वाद नोटप्रेस में खारिज कर काउंटर क्लैम स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने वरवक्त बहस आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्रकरण रिमांड करने पर सहमति व्यक्त की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद एवं प्रतिदावा में उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई के उपरांत गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर